निर्मली- 150/2020

G.R 573/2020

21.09.2020

काराधीन अभियुक्त बलराम सिंह की ओर से दाखिल जमानत आवेदन दिनांक- 19.09.2020 पर सुनवाई हेतु अभिलेख उपस्थापित किया गया। पुकार पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित है।

जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रार्थी अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है तथा कोई अपराध नहीं किये है। प्रार्थी अभियुक्त को ग्रामीण राजनीति के तहत फंसाया गया है। उभय पक्षों के बीच जमीनी विवाद है। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोपों में से धारा- 307, 354(B), 379 भा०द०वि० को छोड़कर अन्य आरोप जमानतीय है। धारा- 307, 354(B), 379 भा०द०वि० का आरोप मुकदमा को गम्भीर बनाने के नीयत से लगाया गया है। इस काण्ड के सह अभियुक्त रविकान्त सिंह के द्वारा भी प्रस्तुत काण्ड के सूचक एवं अन्य के विरुद्ध पलटा मुकदमा निर्मली थाना-

लगातार.

निर्णयी - 150/2020

G.R. 573/2020

लगातार
21.09.2020

कांड सं० - 151/2020 धारा - 147, 148, 149, 341, - 323, 324, 307, 379, 504 भा० द० वि० के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त बिना किसी अपराध के दिनांक - 28.08.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है। प्रार्थी अभियुक्त उचित प्रतिभूति का बंध पत्र दाखिल करने को तैयार है।

अत: प्रार्थी अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

अभियोजन की ओर से विद्वान स० अ० प्या० जमानत का विरोध करते है।

जमानत आवेदन पर उभय पक्षों को सुना अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी अभियुक्त इस कांड के प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है तथा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 448 - 341, 323, 307, 354 (B), 379, 504 भा० द० वि० के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 28.08.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध ईंट के टुकड़े से महेश के सर पर मारने का सीधा आरोप है। जिससे महेश जख्मी होकर जमीन पर गिर गये। कांड दैनिकी के कंडिका - 07 एवं 10 में प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य आया है। प्रार्थी अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि उभय पक्षों के बीच सुलह हो गया है। परन्तु सुलहनामा आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोपों में से धारा - 307, 354 (B), 379 भा० द० वि० का आरोप

निर्णली 150/2020

G.R. 573/2020

<u>लगातार</u>

21.09.2020

अजमानतीय तथा गम्भीर प्रकृति के है तथा धारा 307 भा० द० वि० का आरोप विद्यमान सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रस्तुत मामला अभी अनुसंधान अन्तर्गत है। उपरोक्त तथ्यों तथा मामले की गम्भीरता को देखते हुए प्रार्थी अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी अभियुक्त बलराम सिंह की ओर से दाखिल जमानत आवेदन दिनांक 19.09.2020 को Rejected - किया जाता है।

हस्ताक्षरित

आ० कुमार [illegible]